न्यायालय सहायक कलक्टर (फांस्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामूराम बनाम सरदारसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.न. - 752/2017	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ता... में जारी हु...
29.09.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र संख्या 691/2002 बी0 टी0 नं. 752/2017 उनवानी रामूराम वगैरह बनाम सरदार सिंह वगै0 को खारिज किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.12.20 11:28:07 IST Reason: SelfAttested 29/09/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीमकाथाना) दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीमकाथाना)	

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या 752/2017 जीसीएमएस न0 1183/2017 निर्णय दिनाक 29.09.2023

उनवान प्रकरण

रामूराम पुत्र महादेव जाति जाट निवासी मौहल्ला चौधरी, अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 वगै0।

––वादीगण / अप्रार्थी

बनाम्

1. सरदार सिंह पुत्र स्व0 मुरलीराम जाति जाट निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 वगैरह

––प्रतिवादीगण / प्रार्थी

उपस्थितः–

श्री रणवीर सिंह शेखावत, एड0 वादीगण / अप्रार्थी अभिभाषक।

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 आवेदककर्त्ता प्रा.पत्र पेशकर्त्ता प्रतिवादी सं.2

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 2 श्री सुल्तानसिंह पुत्र स्व0 मुरलीराम जाति जाट निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के द्वारा अधिवक्ता दि0 19/04/2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अवगत कराया है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार वादीगण के स्वर्गीय पिता जगदीश एव रामूराम ने राजस्व ग्राम अजीतगढ की पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि को उसके मूल खातेदार मिन प्रतिवादी के ताऊ दूलाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 14.05.1984 को क्रय करने के कथन किये गये है। उक्त पुराने खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा के नवीन सैटलमेन्ट में नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 वरवक्त सैटलमेन्ट बनाये गये है। उक्त विक्रय लेख 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण जरिये मिसल 163/84 दिनांक 22.8.1984 के वरस्वक्त सैटलमेन्ट आदेश के तहत खातेदारी नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 की (जिसमें 2103 का रकबा 4.52 बढाकर गलत अंकित किया हैं) खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता जगदीश एंव रामूराम वगैरह के नाम स्वंय करवायी गयी है। इस प्रकार नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना सिद्ध है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा से नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100, 2101, 2099, 2098 राजस्व रिकार्ड से बनना सिद्ध नही है। इस प्रकार वादीगण की ओर से नवीन भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 को पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना अपने वादपत्र के कथनो में अंकित करते हुये वादपत्र में नवीन खसरा नम्बर 2099, 2101 के बाबत अनुतोष चाहा हैं जबकि नवीन भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से नही बना है बल्कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बना है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 तन ग्राम अजीतगढ बाबत वादी को किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के कोई कानूनी अधिकार नही है, ना ही वादी को कोई नवीन भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 के बाबत वादकारण उत्पन्न हुआ है, ना ही हो सकता है। इसलिये वादीगण का वादपत्र वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण स्वच्छ मन व शुद्ध हस्त से नही आया है तथा अपने विक्र[illegible] आधार पर दर्ज करवाये गये नामान्तकरण के निर्णय के तथ्यों [illegible] मलिन आशय से विचाराधीन वादपत्र पेश किया है जो कानूनन चल[illegible] योग्य नही है। वादीगण की ओर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

29/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

से वाद मे सभी आवश्यक पक्षकारो का संयोजन नही किया गया है। इसलिये आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के कारण वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी / प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा अपनी बहस मे किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रत्युतर में वकील वादीगण संख्या 1 ता 5 व 6/1 की ओर से अवगत कराया की प्रार्थना पत्र मे अंकित मद संख्या 1 लगायत 5 मे अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार होकर वास्तविकता यह है कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 976 जिसके नये खसरा नम्बर 2099 ता 2105, 2110, 2098 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिसमें वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101, 2102, 2103, 2098 हिस्से की व शेष दीगर की है। जिसको वादी नम्बर 1 व 2 ता 5, 6/1, 6/2 के पिता ने जरिये विक्रय लेख दुला से पुराने खसरा नम्बर 976 में क्रय की थी। भूमि खसरा नम्बर 2100 वादीया नम्बर 6/1, 6/2 पर काबिज काश्त है। पुराने खसरा नम्बर 976 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा है जिसमें से 17 बीघा 3 बिस्वा को वादीगण नम्बर 1, 2 ता 5 व 6/1, 6/2 के पिता ने जरिये विक्रय लेख दुला से क्रय की थी। सैटलमेंट के समय राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादीगण की कृषि भूमि का रकबा बढा दिया जबकि मौके पर 17 बीघा 3 बिस्वा ही मौजूद है। भूमि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टर के बजाय 4.52 हैक्टर का दिया गया व खसरा नम्बर 2099 व 2101 को वादीगण की खातेदारी से हटाकर प्रतिवादीगण के नाम कर दी गई व खसरा नम्बर 2098 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादीगण भूमि खसरा नम्बर 2101, 2099, 2102, 2103 पर पूर्णतया काबिज काश्त होकर दो कुए व रिहायशी मकान बना रखे है व पत्थर डण्डा निर्माण आदि हेतु डाल रखे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त भूमियों से बेदखल करने, निर्माण आदि करने के कारण वाद कारण उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय में उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है जो वाद सुनवाई दर्ज होकर प्रतिवादीगण [illegible] करते हुये न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] कन्फर्म किया है व उक्त वादपत्र इस्तकरार हक दुरूस्ती रिकार्ड [illegible] निषेधाज्ञा का है। वादीगण स्वच्छ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मन व शुद्ध हस्त से न्यायालय हाजा के समक्ष अपने हक अधिकारों की भूमियों की सुरक्षार्थ अपना पक्ष रखने हेतु आये है। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादीगण ने केवल मात्र मलिन आशय से प्रार्थना पत्र में तथ्य दर्ज किये है। जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। वकील वादीगण ने जवाब पेश कर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी / प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बारबार दोहराते हुए वादीगण के स्वर्गीय पिता जगदीश एंव रामूराम ने राजस्व ग्राम अजीतगढ के पुराने भूमि खसरा नम्बर 976 / 2 रकबा 17 बीद्या 3 बिस्वा भूमि को उसके मूल खातेदार मिन प्रतिवादी के ताऊ दूलाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 14.05.1984 को क्रय किया गया है। पुराने खसरा नम्बर 976 / 2 रकबा 17 बीद्या 3 बिस्वा के नवीन सैटलमेन्ट में नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 वरवक्त सैटलमेन्ट बनाये गये है। उक्त विक्रय लेख 976 / 2 रकबा 17 बीद्या 3 बिस्वा की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण जरिये मिसल 163 / 84 दिनांक 22.8.1984 के वरवक्त सैटलमेन्ट आदेश के तहत खातेदारी नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 की (जिसमें 2103 का रकबा 4.52 बढ़ाकर गलत अंकित किया हैं) खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता जगदीश एंव रामूराम वगैरह के नाम करवायी गयी है। इस प्रकार नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976 / 2 से बनना सिद्ध है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 976 / 2 रकबा 17 बीद्या 3 बिस्वा से नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100, 2101, 2099, 2098 राजस्व रिकार्ड से बनना सिद्ध नही है। इस प्रकार वादीगण की ओर से नवीन भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 को पुराने भूमि खसरा नम्बर 976 / 2 से बनना अपने वादपत्र के कथनो 2101 के बाबत अनुतोष में करते हुये वादपत्र में नवीन पुराने भूमि खसरा नम्बर 976 / 2 नवीन भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

28/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर

से नही बना है बल्कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बना है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 तन् ग्राम अजीतगढ बाबत वादी को किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के कोई कानूनी अधिकार नही है, ना ही वादी को कोई नवीन भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 के बाबत वादकारण उत्पन्न हुआ है, ना ही हो सकता है। इसलिये वादीगण का वादपत्र वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य होने से वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का दावा खारिज किए जाने का निवेदन [illegible] बहस में किया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

वही दौराने बहस वकील वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बारबार दोहराते हुए अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 976 जिसके नये खसरा नम्बर 2099 ता 2105, 2110, 2098 अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिसमें वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101, 2102, 2103, 2098 हिस्से की व शेष दीगर की है। पुराने खसरा नम्बर 976 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा है जिसमें से 17 बीघा 3 बिस्वा को वादीगण नम्बर 1, 2 ता 5 व 6/1, 6/2 के पिता ने जरिये विक्रय लेख दुला से खरीद की थी। सैटलमेंट के समय राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादीगण की कृषि भूमि का रकबा बढा दिया जबकि मौके पर 17 बीघा 3 बिस्वा ही मौजूद है। भूमि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टर के बजाय 4.52 हैक्टर का दिया गया व खसरा नम्बर 2099 व 2101 को वादीगण की खातेदारी से हटाकर प्रतिवादीगण के नाम कर दी गई व खसरा नम्बर 2098 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादीगण भूमि खसरा नम्बर 2101, 2099, 2102, 2103 पर पूर्णतया काबिज काश्त होकर दो कुए व रिहायशी मकान बना रखे है व पत्थर इण्डा निर्माण आदि हेतु डाल रखे है। प्रतिवादीगण भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 प[illegible]ना चाहते है जबकि उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। [illegible] वादीगण को उक्त भूमियो से बेदखल करने, निर्माण आदि करने के कारण वाद कारण उत्पन्न होने से न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

29/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे उक्त वादपत्र पेश किया गया है। अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज किए जाने का निवेदन वकील ने अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर समौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण मे वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा के वरवक्त सैटलमेन्ट खातेदारी राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण जरिये मिसल 163/84 दिनांक 22.08.1984 के आदेश के तहत खातेदारी नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 जिसमें 2103 का रकबा 4.52 बढ़ाकर गलत अंकित किये जाने से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता जगदीश एंव रामूराम वगैरह के नाम स्वंय करवायी गयी है। इस प्रकार नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना सिद्ध होने से उक्त वादपत्र में भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 के पुराने खसरा नम्बर 976/2 से नहीं बनकर खसरा नम्बर 975 से बनना होने से वादी को किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के कोई कानूनी अधिकार नहीं होना तथा ना ही इस सम्बन्ध में वादकारण पैदा नहीं होने से वादकारण के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रकट होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है कि: वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

क. जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है,

ख. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

22/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

ग. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

घ. जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ड. जहाँ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

च. जहाँ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दावा बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जिसमें पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख वादीगण ने खातेदार दूलाराम पुत्र रूघाराम से क्रय की थी। जिसकी खातेदारी केतागण द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष प्रकरण पेश कर बाद [illegible] पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नवीन भूमि [illegible] रकबा 0.01 हैक्टर, 2103 रकबा 4.52 हैक्टर, 2104 रकबा 0.05 [illegible] किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टर [illegible] खा[illegible]री केतागण भैरूंलाल पुत्र घासीराम, जॉच में बनना पाये जाने पर इसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज की गई। जो मिसल संख्या 163/84 के तहत निर्णित किया गया। जिसमें रकबे को 17 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 4.28 हैक्टर बनता है के बजाय रकबा 4.58 हैक्टर बना दिया गया। सैटलमैंट की कार्यवाही के दौरान जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उसमें 976/2 के उपरोक्त खसरा नम्बरों 2102, 2103, 2104 के अलावा अन्य नवीन खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 गलत दर्ज कर दिये गये। जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना पाया जाना प्रकट होता है। जो भू प्रबन्ध विभाग सीकर की मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 की पालना में बनाया जाकर खातेदारी दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में जब भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा से नहीं बनकर पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना सहायक भू प्रबन्ध विभाग सीकर द्वारा मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 के अनुसार पाया गया है। इसलिए नवीन भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 तन् ग्राम अजीतगढ को पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना नहीं पाया जाता है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बर पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना पाया जाता है। केवल मात्र मिलान क्षेत्रफल की त्रुटि के आधार पर वादीगण को उक्त खसरा नम्बर 2099, 2101 बावत वादीगण को किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा ना ही कोई वादकारण ही उत्पन्न हो सकता है। अतः वादकारण के अभाव में वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नहीं होने से वकील प्रतिवादी[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित [illegible] को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

::— कियात्मक आदेश —::

अतः वकील प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र उनवानी रामूराम वगैराह बनाम् सरदार सिंह वगै0 मुकदमा संख्या 691/2002 डी0टी0 नम्बर 752/2017 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली में शामिल की जावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

29/09/23

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/09/23

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested